A- 2.27

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–XIV के अन्तर्गत गैरसैंण (आगरचट्टी) से स्यूणी मल्ली मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
RWD PMGSY
Karanprayag-1

वन क्षेत्राधिकारी
लोढ्या वनक्षेत्र गैरसैंण

ह0/–
उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

A- 2.28

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रूद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0, उपखण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांकः 12 /जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2016–17, दिनांक 8 अप्रैल 2016

विषयः **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आगरचट्टी से स्यूणी मल्ली तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या मैमो/वन भूमि/पी0एम0जी0एस0वाई0/2015–16, दिनांक 22.03.2016, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2016–17 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

नि0आ0सं0–12 / जि0टा0फो0 च0 / रू0 / मोटर मार्ग / 2016–17

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आगरचट्टी से स्यूणी मल्ली तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, उपखण्ड कर्णप्रयाग के पत्र संख्या मैमो / वन भूमि / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2015–16, दिनांक 22.03.2016, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली / रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आगरचट्टी से स्यूणी मल्ली तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री प्रदीप नौटियाल, कनिष्ट अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, उपखण्ड कर्णप्रयाग व श्री धीरज सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान स्यूणी मल्ली की उपस्थिति मे उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :–

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण गैरसैंण–चौखुटिया मोटर मार्ग पर गैरसैंण से चौखुटिया की ओर मोटर मार्ग के नीचे / दक्षिणपश्चिम मे निर्मित राजकीय इन्टर कॉलेज आगरचट्टी पर निर्मित मोटर मार्ग के अपस्लोप / उत्तरपूरब से निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 06 कि0मी0 प्रस्तावित है जिसको ग्राम स्यूणीमल्ली तक 04 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। मोटर मार्ग समरेखण मे हेयरपिन बैण्ड्स का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि हेयरपिन बैण्ड्स एक–दूसरे के ऊपर कदापि निर्मित न हो सके। उक्त क्षेत्र का अधिकांश भूभाग वन भूमि व ग्रामीणों की निजी नाप भूमि के मध्य से होकर गुजर रहा है। समरेखण को लगभग 25^0–50^0 दक्षिणपश्चिम व उत्तरपूरब फेसिंग के पहाड़ी ढालों पर निर्मित किया जाना है। कतिपय स्थलों पर मृदा की गहराईयुक्त परत अवस्थित है तथा समरेखण प्रारम्भ मे लगभग वन भूमि के मध्य से गुजर रहा है जिसमें पहाड़ी ढाल लगभग 40^0–50^0 व पहाड़ी ढाल की दिशा उत्तर 210^0 के मध्य अवस्थित है। प्रारम्भ में मार्ग कटाव से उत्सर्जित मलवे को निचले ढाल पर न फैलाया जाय।

समरेखण निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थलों के अपस्लोप व डाउनस्लोप मे भवन आदि वर्तमान समय मे निर्मित नही हैं। स्थल पर समरेखण का कटाव अर्द्ध भराव, अर्द्ध कटाव के सिद्वान्त पर किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त समरेखण मे कार्बोनेट्स, क्वार्टजिटिक प्रकृति की चट्टानें अवस्थित हैं। प्रारम्भ मे चट्टानों के मध्य ज्वाइंट ऑपनिंग विद्यमान है जिसमें कटाव के पश्चात् कुछ भूभाग अस्थिर हो सकता है जिसकी रोकथाम हेतु आवश्यक सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा। समरेखण के मध्य अवस्थित बरसाती व सीजनल नालों पर मोटर मार्ग को गुजारने के लिए उचित डिजाइनिंग के साथ स्कबर आदि का निर्माण किया जाना उचित होगा। उक्त स्थल भारतीय सीजमिक मानचित्र पर सक्रिय भूकम्पीय जोन मे अवस्थित है अतः अधिकांशतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

उक्त स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 में निहित सम्पूर्ण

प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. यह सुनिश्चित किया जाय कि समरेखण मे प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलानयुक्त स्थिर भूमि मे निर्मित किये जांय।
3. तीव्र ढलान मे मार्ग को एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को एवोइड किया जाय अन्यथा फर्म स्ट्रेटा न होने की स्थिति मे मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
4. समरेखण के निकटवर्ती क्षेत्र मे भवनों से सुरक्षित दूरी रखते हुए बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटाव कार्य किया जाय।
5. समरेखण मे तीव्र पहाड़ी ढाल भूभाग को संरक्षित करते हुए सावधानीपूर्वक मार्ग कटाव कराया जाय जिससे भविष्य मे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।
6. जहॉ मार्ग कटाव की ऊँचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग से मार्ग कटाव के साथ–साथ समुचित ब्रेस्टवाल (पर्याप्त वीप होल्स व स्क्रीनिंग मटिरियलयुक्त) का निर्माण कराया जाय।
7. वर्षा जल के समुचित निकासी हेतु रोड़साईड ड्रेन एवं स्कपर का प्राविधान किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
8. पर्वतीय क्षेत्र मे मार्ग निर्माण के लिए निर्धारित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
9. तीव्र चट्टानी ढलान मे ब्लास्टिंग किये जाने पर चट्टान के ज्वाइंट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं। अतः जहॉ तक आवश्यक हो मार्ग कटान मे नियन्त्रित ब्लास्टिंग व रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाय।
10. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् कुछ क्षेत्रों के अपस्लोप का एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित होने से भूधसांव क्षेत्र विकसित हो सकते हैं। अतः भूधसांव क्षेत्र को अद्यतन नवविकसित सिविल भूअभियांत्रिकी द्वारा ट्रीट/सुरक्षित किया जाय।
11. पूर्व ओरवलोडेड व मोटर कटाव से निर्मित तीव्र मलवा ढालों को टो सपोर्ट शीघ्र दिया जाय ताकि वर्षाकाल मे मड/मृदा/मलवा, समीप की आबादी व कृषियुक्त भूमि को असुरक्षित न करे।
12. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहॉ आवश्यक हो समुचित पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर वर्षाकाल मे भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके।
13. समरेखण में बनाये जाने वाली सुरक्षा धारक दीवारों/टो वाल, रिटेनिंग व ब्रेस्टवालों का निर्माण (वीप होल्स सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) आवश्यकतानुसार किया जाय।
14. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मटिरियल को पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर सुरक्षित स्थल पर निक्षेपित किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान मड/डेबरी फ्लो की सम्भावना को न्यून किया जा सके।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों मे मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

Executive Engineer
RWD PMGSY
Karanprayag-1

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक